बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या प्र02वि0 1– 10/2018 –1543 पटना 15, दिनांक 21.03.18

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की 9(a) तथा 10 (1-a) में यथा विर्निदिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम (3) एवं (4) में वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला के जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से पूर्ण कालिक अध्यक्ष के पद पर पॉच वर्ष अथवा 65 वर्षों की उम्र सीमा (जो भी पहले हो) तक के लिए नियुक्त किया जाता है:

क्र0 सं0	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	अभियुक्ति
01	02	03	04
01	श्री मो0 जफर ईमाम मल्लिक, पिता– स्व महमूद आलम, पता– मोहल्ला–402, अबूसुलेमान रेसिडेन्सी भिखना पहाड़ी, पोस्ट– महेन्द्रू, पटना–800006	जमुई	
02	श्री अरबिन्द माधव, पिता– स्व0 सदानन्द प्रसाद, पता– ग्राम+पो0– समेली, भाया– कुरसला, जिला– कटिहार वर्त्तमान पता– सिविल कोर्ट, भागलपुर, कचहरी चौक, जिला– भागलपुर।	मधेपुरा	

2. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझी जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. अध्यक्षों का वेतन सेवानिवृति की तिथि को प्राप्त वेतनमान में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1434 दिनांक 09.03.2000 के आलोक में निर्धारित होगा।

4. नवनियुक्त अध्यक्ष अपना योगदान संबंधित जिला के जिलाधिकारी को देंगे। योगदान की प्रति अध्यक्ष, राज्य आयोग/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुत करेंगें।

5. योगदान पत्र के साथ जन्म प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति तथा घोषणा पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

6. वांछित प्रमाण–पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नही किये जायेगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/3/2018

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– प्र02 वि01– 10/2018 1543 खाद्य, दिनांक 21.03.18

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

21/3/2018
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– प्र02 वि01– 10/2018 1543 खाद्य, दिनांक 21.03.18

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, आर0 ब्लौक, पटना/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु)/प्रशाखा–02 को 5 अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं प्रशाखा 05 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित। निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वे संबंधित अध्यक्ष को अधिसूचना की प्रति का तामिला अपने स्तर से शीघ्र कराना सुनिश्चित करेंगें।

21/3/2018
सरकार के सचिव